

## माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

### निविदा

प्रतिष्ठित फर्मों से माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में माननीय न्यायमूर्तिगण के विश्राम कक्ष में लगे 45 रेफ्रिजरेटर विडियोकॉन (मॉडल वी0सी0एल0 093, 80 लीटर) एवं 25 रेफ्रिजरेटर गोदरेज (मॉडल GDC110 गोदरेज, 99 लीटर) का वार्षिक रखरखाव (सी0ए0एम0सी) एक वर्ष तक के लिए अनुबन्ध करने के लिए निविदा आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक फर्मों धरोहर धनराशि ₹05,000/- मात्र नगद उच्च न्यायालय के कोषागार में जमा करने के उपरान्त सील बन्द लिफाफे में निविदा उप निबन्धक (नजारत) के कार्यालय में प्रकाशन तिथि से एक माह तक प्रस्तुत कर सकते हैं

### नियम एवं शर्तें

1. रेफ्रिजरेटर की शिकायत एक दिन में अवश्य पूर्ण कराये।
2. रेफ्रिजरेटर की समस्त सामग्री को कम्पनी मेक का बदला जायेगा।
3. विश्राम कक्ष में किसी प्रकार की गन्दगी नहीं होनी चाहिए।
4. विशेष परिस्थिति में रेफ्रिजरेटर कम्पनी ले जाना पड़े तो स्टैण्डबाई रेफ्रिजरेटर लगाये।
5. निविदा में रेफ्रिजरेटर में कराये जाने वाले कार्य का पूर्ण विवरण स्पष्ट करे।
6. समस्त रेफ्रिजरेटर में मरम्मत के दौरान लगाये जाने वाले सामग्री का लॉग-बुक मेन्टेन करे, मरम्मत पश्चात् निकली सामग्री को न्यायालय अधिकारी से सत्यापित कराये तथा वापस करे।
7. सी0ए0एम0सी0 का आधा भुगतान कार्यदिश जारी करते समय किया जायेगा तथा शेष 50 % भुगतान सन्तोषजनक सी0ए0एम0सी0 समाप्ति के उपरान्त किया जायेगा।
8. निविदा की स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रेफ्रिजरेटर के कम्प्रेन्सिव वार्षिक रखरखाव के दौरान किसी भी प्रकार का अतिरिक्त धन स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
9. उपरोक्त नियम एवं शर्तों के अनुसार कार्य किया जाय। यदि किसी प्रकार की चूक कम्प्रेन्सिव वार्षिक रखरखाव के दौरान होती है तो धरोहर धनराशि जब्त की जा सकती है।
10. अनुबन्धन की समय-सीमा समाप्त होने के उपरान्त धरोहर धनराशि वापस की जायेगी।
11. रेफ्रिजरेटर में मरम्मत कार्य अवधि में यदि विश्राम कक्ष में स्थित अन्य सामग्री की क्षति होती है तो इसकी क्षतिपूर्ति आपके द्वारा की जायेगी।

(लाल जी सिंह)

उप निबन्धक(नजारत)